प्रेस विज्ञप्ति

21.11.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर जोनल कार्यालय ने 21/10/2024 को लुधियाना स्थित ट्रैवल एजेंट नितीश घई के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत धन शोधन मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 20/11/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने लुधियाना जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर आईपीसी, 1860 और उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की विभिन्न धाराओं के तहत पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी ने आम जनता को बाह्य देशों के वर्क वीजा प्रदान करने का झूठा वादा करके धोखा दिया, जोकि आरोपी व्यक्ति द्वारा कभी प्रदान नहीं किए गए। इसके अलावा आरोपी के पास वर्क वीजा सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं पाया गया।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि आरोपी द्वारा अर्जित अपराध की आय उसके परिवार के सदस्यों और उसके द्वारा संचालित विभिन्न कंसल्टेंसी फर्मों द्वारा खोले गए बैंक खातों में जमा की गई थी और अंततः इस नकदी का उपयोग विभिन्न अचल संपत्तियों को खरीदने में किया गया था।

इससे पहले, ईडी ने आरोपी की व्यावसायिक संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था, जिनकी मौजूदा बाजार कीमत के हिसाब से करोड़ों रुपये है।

आगे की जांच जारी है।